



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

पत्रांक: F.-1(9)/LBSNSU/ S. F./Admin-1/2025-26/1535

दिनांक 19.12.2025
३३

अधिसूचना

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली शैक्षणिक सत्र- 2025-26 के लिए दर्शन पीठ के अन्तर्गत योग विभाग हेतु निम्नलिखित सहायक आचार्य (अतिथि) (Guest Faculty) के लिए **Walk-in-Interview** दिनांक **15.01.2026** पूर्वाह्न **11:00** बजे, शैक्षणिक सदन में दर्शन पीठाध्यक्ष के कक्ष में सम्पन्न किये जायेंगे:-

क्रम संख्या	विभाग	सहायक आचार्य (अतिथि) संख्या
01.	योग विभाग	01

सहायक आचार्य (अतिथि)
1,500/- रुपये प्रति व्याख्यान तथा अधिकतम 50,000/- रुपये प्रति माह जो भी कम हो देय होगा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अन्तर्गत योग विभाग के सहायक आचार्य (अतिथि) के लिए आवश्यक योग्यता निम्न प्रकार है:-

- (क) भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ दर्शनाचार्य अथवा अन्य संगत विषय में निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो उस स्थिति में प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) साहित अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो ।
इसके साथ-साथ, उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) अथवा वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही परीक्षा यथा SLET/SET उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई हो ।

अथवा

- (ख) किसी भी विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि धारक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, उस स्थिति में प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें किए गये संशोधन, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप योग में पीएच.डी. की उपाधि धारक हो ।

बशर्ते:-दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने अध्याधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए NET/SLET/SET की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:-

कृ.पू.उ.

[Signature]

पूर्व पृष्ठ से जारी:-

- (क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो,
- (ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो,
- (ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो,
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो,
- (ङ) अभ्यर्थी ने UGC/ICSSR/CSIR अथवा ऐसी किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।
- इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

नोट:- ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए NET/SLET/SET अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिसके लिए वि.अ.आ./सीएसआईआर/एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा (जैसे एनईटी/एसएलईटी आदि आयोजित नहीं की जाती हैं)

(ख) विश्व के शीर्षतम 500 रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान (किसी भी समय) से पीएचडी की उपधि निम्नलिखित में से किसी एक से प्राप्त की गई हो:-

- (1) क्वैकवेरेली सायमंड (क्यूएस)
- (2) दि टाइम्स हॉयर एजुकेशन (टीएचई) अथवा
- (3) शंघाई जियाओं टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई)।

नोट: विश्वविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका ३क) और महाविद्यालयों के लिए परिशिष्ट II (तालिका ३ख) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होगा।

नोट:- योग अतिथि अध्यापक को अध्यापन के साथ-साथ योग प्रशिक्षण के कार्यों का भी निवारण करना पड़ेगा।

01. सहायक आचार्य (अतिथि) के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.slbsrsv.ac.in से **Download** किया जा सकता है।
02. योग्य अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य (अतिथि) पद के लिए Walk-in-Interview हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र को भरकर सभी मूल प्रमाण एवं उनकी छायाप्रति के साथ लाना अनिवार्य हैं।
03. विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2025-26 की समाप्ति से पहले किसी भी समय इस नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
04. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने आवेदन में फर्जी/गलत दस्तावेज/प्रमाण-पत्र/दावा या विवरण प्रस्तुत किया है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जा सकती है/नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
05. सहायक आचार्य (अतिथि) को विभागाध्यक्ष/पीठाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गए शिक्षण और अन्य कर्तव्यों का पालन करना होगा, जिसकी समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा।
07. सहायक आचार्य (अतिथि) की नियुक्ति शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए है, जिसे नियंत्रण अधिकारी की एपीआई रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बढ़ाया जा सकता है।
08. सहायक आचार्य (अतिथि) को किसी प्रकार का भत्ता, पेंशन, ग्रेज्युटी, अवकाश इत्यादि देय नहीं होगा।
09. इस अधिसूचना में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे नियमानुसार संशोधित किया जाएगा।

(कुलसचिव)✓

प्रतिलिपि:-

01. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
02. विश्वविद्यालय के सभी सूचना पट्ट
03. समस्त पीठाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष
04. विशेषाकार्याधिकारी कुलपति कार्यालय
05. कुलसचिव के निजी सचिव
06. संबंधित पत्रावली

Sh. Sachin

23/12/25

(कुलसचिव)✓